9
11.18

संख्या– /XXiV–05/2018/9(1)/2018

प्रेषक,

डा0 भूपिन्दर कौर औलख,
सचिव
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
विद्यालयी शिक्षा,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

माध्यमिक शिक्षा अनुभाग–5

देहरादून, दिनांक 23 जनवरी, 2018

विषयः– एजुकेशन क्वालिटी सेल की गुणवत्ता, संवर्द्धन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक प्राथमिक एवं माध्यमिक स्तर पर प्रदेश में शिक्षा की गुणवत्ता सुनिश्चित करना राज्य सरकार की शीर्ष प्राथमिकता है। इस हेतु शिक्षण संस्थाओं के सुदृढीकरण व्यवस्था अत्यधिक प्रभावी बनाने के प्रयास विभागीय स्तर से किये जा रहे हैं। नवचारी अनु प्रयोगों को शिक्षण में समावेश करने तथा विद्यालय स्तर पर शिक्षकों की व्यवसायिक दक्षता में वृद्धि करने जैसे विषयों पर नियमित सुझाव देने एवं कार्ययोजना तैयार करने हेतु राज्य स्तर पर शैक्षिक गुणवत्ता प्रकोष्ठ का गठन किया गया है।

2– इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि एजुकेशन क्वालिटी सेल की गुणवत्ता संवर्द्धन के सम्बन्ध में निम्न सुझावों के अनुसार प्रक्रिया निर्धारित की जाती हैः–

1. सभी शासकीय तथा अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों में कक्षा–3 से 12 तक मासिक परिक्षाएँ आयेजित की जाएं व इसके लिए एस.सी.ई.आर.टी. विषयवार विषय विशेषज्ञों की सहायता से प्रश्नपत्र तैयार करेगा। इस वर्ष हेतु माह जनवरी तथा माह फरवरी की मासिक परीक्षाओं हेतु ही प्रश्नपत्रों का निर्माण समयान्तर्गत पूर्ण कर लिया जाए। यदि कक्षा–10 आर 12 की प्री–बोर्ड परीक्षाएं आयोजित हो रही हों तो उन्हें ही मासिक परीक्षा मानते हुए इस हेतु निर्धारित प्रकिया के अनुसार मूल्यांकन किया जाएगा।
2. कक्षा 3 से 5 तक हिन्दी, गणित व अंग्रेजी, कक्षा 6, 7, व 8 में हिन्दी, गणित, विज्ञान व अंग्रेजी एवं कक्षा 9 से 12 तक सभी विषयों की मासिक परीक्षा ली जाएगी।
3. कक्षावार मासिक रूप से पढ़ाए जाने वाले सम्बोधों/पाठों का विभाजन सीमैट द्वारा किया गया है इसका पुनः परीक्षण सीमैट द्वारा इन्ही के स्तर से कर सभी विद्यालयों को उपलब्ध कराया जाए।

4. इसके साथ ही एस.सी.ई.आर.टी. प्रत्येक विषय के लिए कक्षावार व पाठवार प्रश्न बैंक तैयार करेगा। अनुदेशनात्मक उद्देश्यों (ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग, एवं कौशल) के आधार पर प्रश्नों को प्रश्नबैंक में सम्मिलित किया जाएगा। जिसका प्रयोग आगामी शैक्षिक सत्र की मासिक परीक्षाओं हेतु किया जा सकेगा।
5. इस वर्ष मासिक परीक्षा माह जनवरी के अन्तिम सप्ताह तथा माह फरवरी के अन्तिम सप्ताह में आयोजित की जाएं व आगामी शैक्षिणक सत्र से प्रतिमाह (छमाही व वार्षिक परीक्षा को छोड़कर) के अन्तिम शुक्रवार या अवकाश की दशा में इससे पूर्व के कार्य दिवस को आयोजित की जाएंगी।
6. प्रत्येक विद्यालय की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन उसके निकटस्थ दूसरे विद्यालय के अध्यापकों द्वारा किया जायेगा व इस हेतु प्रारम्भिक स्तर के लिए संबंधित विकासखण्ड के उपशिक्षा अधिकारी तथा माध्यमिक स्तर के लिए खण्ड शिक्षा अधिकारी रोडमैप तैयार कर समयान्तर्गत निदेशालय में इस हेतु नामित अधिकारी को उपलब्ध कराएँगे।
7. प्रारम्भिक स्तर के लिए रोडमैप तैयार करवाने की जिम्मेदारी श्री वी.एस. रावत अपर शिक्षा निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय तथा माध्यमिक स्तर के लिए श्री बी.एस.नेगी संयुक्त निदेशक, माध्यमिक शिक्षा की होगी। सम्बन्धित अधिकारी विकासखण्डों से सूचना प्राप्त कर संकलित विवरण सचिव शिक्षा को उपलब्ध कराएँगे। इस हेतु सम्बन्धित निदेशालय से आवश्यक निर्देश जारी किए जाएँगे।
8. प्रत्येक मूल्यांकनकर्ता विद्यालय निदेशालय स्तर से जारी निर्धारित प्रपत्र पर कक्षावार व विषयवार प्रत्येक प्रश्न में छात्र–छात्रा का मूल्यांकन का ब्यौरा तैयार करेंगे व अपेक्षित अधिगम स्तर प्राप्त न करने वाले छात्रों की सूची संबंधित विद्यालय को उपलब्ध कराएँगे।
9. उपशिक्षा अधिकारी तथा खण्ड शिक्षा अधिकारी अपने विकासखण्ड के समस्त विद्यालयों में अपेक्षित अधिगम स्तर प्राप्त न करने वाले छात्र–छात्राओं की संख्या विषयवार प्रत्येक प्रश्न का ब्यौरा संकलित कर जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षाा)/जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक शिक्षा) के माध्यम से संबंधित निदेशालय तथा 01 प्रति संबंधित जिले के डायट को उपलब्ध कराएँगे।
10. इन मासिक परीक्षाओं के परिणामों के आधार पर आगामी शैक्षणिक सत्र में सेवारत शिक्षण प्रशिक्षणों की आवश्यकताओं की पहचान की जाएगी और इन आवश्यकताओं को आगामी प्रशिक्षण कार्यक्रमों में सम्मिलित किया जाएगा।
11. प्रत्येक संकुल स्तर पर हाईस्कूल/इण्टर कॉलेजों के सेवित क्षेत्र में आने वाले प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, हाईस्कूल, इण्टरमीडिएट कॉलेजों के लिए चयनित

हाईस्कूल /इण्टरमीडिएट कॉलेज के प्रधानाध्यापक/प्रधानाचार्य को एकेडमिक एक्सपर्ट के रूप में नामित किया जाए व नामित एकेडमिक एक्सपर्ट त्रैमासिक रूप से इन विद्यालयों का अकादमिक अनुश्रणव करना सुनिश्चित करेंगे। इस हेतु संबंधित उप शिक्षा अधिकारी/खण्ड शिक्षा अधिकारी एकेडमिक एक्सपर्ट को पूर्ण सहयोग करेंगे।

12. प्रत्येक डायट के मैंटर्स प्रतिमाह रेण्डम आधार पर विद्यालयों का अनुश्रवण संबंधित एकेडमिक एक्सपर्ट के साथ विचार–विमर्श के उपरान्त करते रहेंगे। जनपद व राज्य स्तरीय अधिकारी/संस्थानकर्मी रेण्डम आधार पर जनपदों में विद्यालयों का अनुश्रवण करेंगे।

13. मासिक परीक्षाओं के मूल्यांकन के आधार पर प्रत्येक में Higher Achiever व Low Performer विद्यार्थियों का ब्यौरा तैयार किया जाएगा तथा उसी अनुसार उपचारात्मक शिक्षण की व्यवस्था की जाएगी।

14. सभी शिक्षकों की शिक्षक डायरी में भी ऐसे विद्यार्थियों का ब्यौरा व उपचारात्मक शिक्षण की रणनीति अनिवार्यतः उपलब्ध होनी चाहिए। इस हेतु संबंधित प्रधानाध्यापक/प्रधानाचार्यों का उत्तरदायित्व होगा कि वे प्रत्येक शिक्षक की डायरी का नियमित अवलोकन करें।

15. प्रत्येक सप्ताह के शनिवार को प्रत्येक विद्यालय में Doubt clearing Day व English Speaking Day मनाया जाएगा। इस दिन प्रत्येक अध्यापक सप्ताह में पढ़ाए गए पाठों पर छात्रों की जिज्ञासाओं/पृच्छाओं क समाधान करेंगे। इस दिन विद्यालय की प्रत्येक गतिविधि (प्रार्थना सभा से छुट्टी होने तक) सभी कार्य व आम बोलचाल अंग्रेजी भाषा में की जाएगी। संबंधित प्रधानाध्यापक/प्रधानाचार्य इसका अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे तथा विकासखण्ड व जनपद स्तरीय अधिकारी रेण्डम आधार पर इसका अनुश्रवण करेंगे।

16. Doubt clearing Day में शिक्षक भी अपने विषय के संबंध में यदि कोई पृच्छा/समाधान चाहते हों तो आपस में विचार–विमर्श करेंगे व प्रधानाध्यापक/प्रधानाचार्य के माध्यम से एकेडमिक एक्सपर्ट को अवगत कराएँगे। एकेडमिक एक्सपर्ट अपने सेवित क्षेत्र में उपलब्ध अध्यापकों के द्वारा इन पृच्छाओं का समाधान कराएँगे।

17. उप शिक्षा अधिकारी/खण्ड शिक्षा अधिकारी एकेडमिक एक्सपर्ट की सहायता से संकुल स्तर पर अध्यापकों में से English Expert की पहचान करेंगे। English Expert अपने संकुल/विकासखण्ड के अध्यापकों को English Speaking Day की गतिविधियों में सहायता करेंगे।

18. यदि किसी विद्यालय में कोई अध्यापक/अध्यापिका लम्बी अवधि के अवकाश/अनुपस्थित रहते हैं तो उनके स्थान पर निकटस्थ विद्यालय (प्रा./उ.प्रा./हाई./इण्टर) के अध्यापक को माह में अधिकतम 07 दिवसों के लिए संबंधित विषय के अध्यापन कार्य हेतु व्यवस्था पर भेजा जाएगा।
19. उत्तराखण्ड शिक्षा परिषद रामनगर को यह निर्देशित किया जाए कि हाईस्कूल व इण्टरमीडिएट परीक्षा में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की उत्तर पुस्तिका को स्केन कर वेबपोर्टल पर डाला जाए ताकि अन्य छात्र–छात्राएँ इससे लाभान्वित हो सकें।
20. एजुकेशन क्वालिटी सेल की आगामी बैठक माह जनवरी 2018 की मासिक परीक्षा के परीणामों के विश्लेषण एवं आगामी रणनीति हेतु माह फरवरी 2018 में आयोजित की जाएगी।

3– एजुकेशन क्वालिटी सेल की गुणवत्ता, संवर्द्धन हेतु अकादमिक सम्बन्धी सभी कार्य निदेशक, अकादमिक शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान के द्वारा किया जायेगा, तथा इस आदेश का वास्तविक रूप से अनुपालन करने का दायित्व निदेशक, माध्यमिक/बेसिक शिक्षा का होगा।

भवदीया,

(डा0 भूपिन्दर कौर औलख)
सचिव।

संख्या– 36 /XXiV–05/2018/9(1)/2018 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि– प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निजी सचिव, मा0 मंत्री विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन।
2. निजी सचिव, सचिव विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन।
3. निजी सचिव, अपर सचिव विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन।
4. निदेशक, माध्यमिक/प्रारम्भिक/अकादमिक शोध एवं प्रशिक्षण, उत्तराखण्ड देहरादून।
5. सचिव, विद्यालयी शिक्षा परिषद रामनगर नैनीताल।
6. एन0आई0सी0 उत्तराखण्ड शासन।
7. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(कवीन्द्र सिंह)
संयुक्त सचिव